न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रकरण सं0 11/2017 निगरानी

1. श्रीमती गीता देवी पत्नि स्व0 श्रीगोपाल जाति महाजन निवासी मकान नं0 892 वार्ड नम्बर 13, गढ रोड ग्राम मण्डावर, उप तहसील मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत मण्डावर जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावर उप तहसील मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा।
2. मोहनलाल पुत्र श्री सोनपाल जाति महाजन निवासी गढ रोड मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा राज0 हाल निवासी म0नं0 114/2 अग्रवाल फार्म मध्यम मार्ग, रामर्ती मार्ग, मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर राज0।

. . गैर निगरानीकार

निगरानी विरूद्ध पट्टा दिनांक 05.2.99 ग्राम पंचायत मण्डावर पंचायत समिति महवा जिला दौसा बुक नम्बर 2, मिसल संख्या 57 पट्टा सं0 43 दायरी दिनांक 30.8.96 को ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा जारी किया गया है।

उपस्थिति–1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से
2. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 2

दिनांकः 01.10.2019

निर्णय

संक्षिप्त में निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मण्डावर की आबादी में निगरानीकर्ता के स्वामित्व आधिपत्य का पुख्ता मकान नम्बर 892 वार्ड नं0 13 गढ रोड ग्राम मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है जिस पर निगरानीकर्ता विगत करीब 70–75 वर्ष से अपने पति के जीवनकाल से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर उसमें निवास करती चली आ रही है। निगरानीकर्ता व उसके पति ने मेहनत मजदूरी कर स्वयं के निवास के लिये गढ रोड मण्डावर में अपना मकान बनाया था। उसके बाद प्रार्थीया निगरानीकर्ता लगभग 20–25 वर्ष की थी तब ही उसके पति श्रीगापालजी का निधन हो गया उसके बाद वह स्वयं के मकान पर अकेली अपनी सास के साथ निवास करती रही है व आज दिन भी उक्त वर्णित मकान में निवास कर रही है। माह जनवरी 2017 में अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थीया निगरानीकर्ता को कहा कि उक्त मकान का मैने पंचायत से मिलकर अपने स्वयं के नाम का पट्टा जारी करवा लिया है तेरे मरने के बाद इस मकान पर कब्जा करूँगा। जिस पर निगरानीकर्ता ने उक्त बात की सूचना अपने ताऊ के लडके भाई श्री रामकल्याण महाजन निवासी कालाखोह अम्बाडी को दी, तब ग्राम पंचायत से पट्टे की नकल लेकर उक्त पट्टा दिनांक 05.2.99 के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर तलबी गैरनिगरानीकारान की गई। ग्राम पंचायत मण्डावर का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया एवं अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 2 की बहस सुनी गई।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि दिनांक 5.2.99 को ग्राम पंचायत मण्डावर ने मोहनलाल पुत्र सोहनलाल के नाम से पट्टा जारी किया। मोहनलाल की भाभी गीतादेवी का मकान है जो उसके पति ने बनाया है पुश्तैनी मकान नहीं है। गीतादेवी के पति श्रीगोपाल का देहान्त हो गया। नजराना दिनांक 25.3.99 को जमा हुआ है पट्टा जारी होने के बाद। सरवर्क मिसल पर दायर दिनांक 30.8.96 अंकित है और आपत्ति नोटिस सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना पहले ही जारी हो गया। गैरनिगरारीकार सं0 2 ने सिविल न्यायालय महवा में दिनांक 12.1.2018 को दावा करके कहा कि तकास्ता पैण्डिंग है। सिविल न्यायालय में दावा खारिज हो गया। उच्च न्यायालय में भी खारिज हो गया। प्रश्नगत पट्टा दिनांक 05.2.99 कतई फर्जी कूटरचित एवं बनावटी होने से प्राथमिक रूप से ही निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता एक 90 वर्ष की विधवा अनपढ ग्रामीण परिवेश की सीनियर सिटिजन महिला है जो अपने पति के जीवनकाल से ही ग्राम मण्डावर में स्वयं के मकान में निवास करती चली आ रही है जिसके शांतिपूर्ण आधिपत्य में अप्रार्थी सं0 2 द्वारा कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं की गई। अब जब निगरानीकर्ता की आयु 90 वर्ष हो गई तो उम्र का नाजायज फायदा उठाकर उक्त सम्पत्ति से जबरन बेदखल कर कब्जा करने की नीयत से उक्त फर्जी कूटरचित पट्टे को अस्तित्व में लाया गया है जिसका पंचायत में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उक्त पट्टे में अप्रार्थी सं02 ने अपने पिता के नाम को सोनपाल की जगह सोहनलाल लिखवा रखा है। ग्राम पंचायत मण्डावर की मतदाता सूची वर्ष 1992 में 106 नक्बर पर मोहनलाल पुत्र सोनपाल का नाम अंकित है जबकि अप्रार्थी सं0 2 द्वारा पूर्व नियोजित षडयंत्र द्वारा ग्राम पंचायत मण्डावर की मतदाता सूची 1999 में पट्टा प्राप्त करने से पूर्व कम सं0 691 पर मोहनलाल पुत्र सोहनलाल अंकित करवा लिया गया। जबकि निगरानीकर्ता के ससुर का नाम सोनपाल ही था। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं02 ने निगरानीकर्ता की उक्त सम्पत्ति को हडपने की गरज से पंचायत से सांठगांठ कर कथित फर्जी कूटरचित पट्टा प्राप्त किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त पट्टा सं0 43 दिनांक 05.2.99 ग्राम पंचायत मण्डावर को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पत्ति है ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है इसलिये निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। 18 वर्ष बाद निगरानी पेश की गई है। जिसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया कि मकान कब बना है निगरानीकर्ता न ही वहां रहती है। पंचायत राज अधिनियम में पंचायत के आदेश की पंचायत समिति को अपील होगी, मियाद बाहर होने से अपील नहीं की गई है। राज0 पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 61 में पंचायतों के आदेशों की अपील का प्रावधान है। लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान है कि ऐसे अन्य आवेदन पत्र जिनके लिये खण्ड में कहीं भी परिसीमा अवधि विहित नहीं है वहां मियाद 3 वर्ष होगी। निगरानी मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 2 द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये –

1. **DNJ 2012(2) Raj page 602**
2. **RRT 2015(1) page 232-233**
3. **RRT 2015(2) page 755**
4. **RRT 2012(1) page 558**
5. **RRD 1194 page 129-133**

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी सं02 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें सचिव ग्राम पंचायत मण्डावर एवं पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति महवा द्वारा उक्त विवादित पट्टे के संबंध में की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 4.1.2018 विकास अधिकारी पंचायत समिति महवा को प्रस्तुत की गई है, उक्त रिपोर्ट के अनुसार पट्टा पत्रावली में सरवर्क मिसल पर सरपंच बरफा देवी के हस्ताक्षरों एवं कागजातों का ब्यौरा का विवरण खाली पाया गया। आज्ञाओं की सूची का अवलोकन करने पर सरपंच के हस्ताक्षर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं कार्यवाही पूर्ण का अभाव पाया गया जिससे प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा एक माह का आपत्ति नोटिस जारी ही नहीं किया गया हो जिसके कारण कोई आपत्ति नहीं आई है। प्रार्थी मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत पट्टा आवेदन पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। नक्शा ट्रेस भी सरपंच व वार्ड पंचों के द्वारा अप्रमाणित है। फैसला फार्म पर वार्ड पंचों के हस्ताक्षर तो है लेकिन सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। आपत्ति नोटिस पर सरपंच के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। न्यायालय में प्रस्तुत ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली के अवलोकन से उक्त सभी तथ्य सही सिद्ध होते हैं। गैर निगरानीकार मोहनलाल गुप्ता द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश महवा में दिनांक 12.1.2018 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है जिसमें निगरानीकार द्वारा यह उल्लेख किया है कि " सायल ने उनवानी मुकदमा दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रथमदृष्टया सुदृढ आधारों पर पेश किया है जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है"। एक ओर निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि स्वअर्जित एवं कब्जा स्वामित्व की भूमि होना बताकर पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया जाना व्यक्त किया गया है, तो दूसरी ओर मुकदमा दावा बाबत तकास्मा पेश किया जाना प्रकट किया है, उक्त दोनों विरोधाभाषी तथ्य होना भी गैरनिगरानीकार के कार्यकलाप पर सन्देह उत्पन्न करता है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा भूमि पर कब्जा के सम्बन्ध में भी पूर्णतया जांच नहीं किया जाना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत पट्टा का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिनांक 5.2.99 को जारी किया गया है जबकि उक्त पट्टा में नजराना दिनांक 25.3.99 को जमा कराया जाना अंकित किया गया है। उक्त तथ्य भी पट्टा जारी किये जाने में अनियमितता होना प्रकट करता है। ग्राम पंचायत की कार्यविधि के सम्बन्ध में जो प्रश्नचिन्ह लगाये गये हैं उनका विधिक रूप से खण्डन अधिवक्ता अप्रार्थी सं02 द्वारा नहीं किया गया है। यद्यपि अधिवक्ता अप्रार्थी सं02 द्वारा ग्राम पंचायत के पट्टे के विरूद्ध निगरानी की मियाद नहीं होने के संदर्भ में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान है कि ऐसे अन्य आवेदन पत्र जिनके लिये खण्ड में कहीं भी परिसीमा अवधि विहित नहीं है वहां मियाद तीन वर्ष होगी। किन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्धारित विधिक प्रक्रिया में की गई अनियमितता को मियाद के बिन्दु की आड़ में वैध करार दिया जाना न्याय हित में हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत पट्टा सं0 43 दिनांक 05.2.1999 ग्राम पंचायत मण्डावर को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत मण्डावर पंचायत समिति महवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा भूमि पर कब्जा आदि के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित जांच कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राप्त आपत्ति एवं उभयपक्षकारान की सुनवाई की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official